



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

संख्या :- 61/2019

दायर तारीख :- 24-09-2019

1. रतनलाल पुत्र श्री गोरधन जाति महाजन निवासी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान हाल निवासी 101 न्यू लाहोर कॉलोनी शास्त्रीनगर दिल्ली-110031
— वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र गोरधन जाति महाजन निवासी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान। हाल निवासी 93 न्यू लाहोर कॉलोनी शास्त्रीनगर दिल्ली-110031
2. महेश कुमार पुत्र गोरधन जाति महाजन निवासी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान। हाल निवासी 111 न्यू लाहोर कॉलोनी शास्त्रीनगर दिल्ली-110031
3. अंगूरी देवी पत्नि राधेश्याम
4. मुकेश गुप्ता पुत्र राधेश्याम
5. आरती गुप्ता } पुत्रियान राधेश्याम
6. मीनाक्षी गुप्ता }
7. सन्तरा देवी पत्नि सुरेश
8. सुमित गुप्ता पुत्र सुरेश
9. कृपा गुप्ता
10. पूजा अग्रवाल } पुत्रियान सुरेश
11. श्रद्धा अग्रवाल }
12. उपपंजीयक, पंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

समस्त निवासी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर। हाल निवासी 93 न्यू लाहोर कॉलोनी शास्त्रीनगर दिल्ली-110031

समस्त जाति महाजन निवासी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर। हाल निवासी 93 न्यू लाहोर कॉलोनी शास्त्रीनगर दिल्ली-110031

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री चिरंजीलाल रैगर, अधिवक्ता वादीगण
श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6
श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 8
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण संख्या 7, 9, 10, 11
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 03.09.2020

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भामोद के खाता संख्या 236 के खसरा नंबर 1025/0.18, 1026/0.07, 1027/0.06, 1175/488/0.46, 502/0.50, 503/0.45, 504/0.65, 505/0.04, 506/0.70, 507/0.46, 508/0.45, 509/0.65 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 4.67 हैक्टेयर भूमि पटवार हल्का भामोद तहसील विराटनगर में स्थित है। आराजी मुतनाजा की खातेदारी में वादी



संख्या 1 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 11 का हिस्सा 1/5 है, चूंकि वादी एवं प्रतिवादीगण की पूर्वज मिश्री देवी फौत हो चुकी है, जिसके विधिक वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 अपने हिस्सेनुसार है, जबकि रिकॉर्ड में अभी तक मिश्री देवी का नाम हजफ नहीं हुआ है, इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से हिस्सा 1/6 दर्ज रिकॉर्ड है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने हिस्सा भूमि का हिस्से अनुसार अपनी खातेदारी भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बाहमी बंटवारे अनुसार वादी अपने हिस्से भूमि बाहमी बंटवारे में प्राप्त कर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर अपना उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करते चले आ रहे हैं एवं इसी प्रकार प्रतिवादीगण भी अपने हिस्से भूमि पर काबिज काश्त है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा किए गए बाहमी बंटवारे में वादी को हाल खसरा संख्या 1025, 1026, 1027 सम्पूर्ण एवं इन नंबरों के समानान्तर लगते हुए भूमि हाल खसरा नंबर 503 व 504 में उत्तर से दक्षिण-पूर्वी दिशा का हिस्सा प्राप्त हुआ है, जिस पर वादी बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज रहकर बिना किसी बाधा के काश्त करता चला आ रहा है। यह है कि हाल खसरा नंबर 502 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि में डामरीकरण सड़क बनी हुई है, जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज है, जिसका उपयोग-उपभोग वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा अपने-अपने हिस्सा भूमि में पहुंच के रास्ते के रूप में किया जाता है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं है। यह है कि खातेदारी भूमि के दर्ज रिकॉर्ड में राधेश्याम पुत्र गोरधन की मृत्यु हो चुकी है लेकिन विधिक वारिसान के नाम से नामान्तकरण अभी नहीं खुला है, इस कारण उनके विधिक वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। यह है कि यदि प्रतिवादीगण, वादी को उसके हिस्से की भूमि की काश्त नहीं करने देने में तथा बिना बंटवारा करवाये भूमि के विशिष्ट भाग को बेचान करने में सफल हो गए तो वादी को अकथनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन राशि में किया जाना संभव नहीं होगा। यह है कि वादी ने अपने हिस्से की आराजी को अपने मेहनत, लगन से काफी रूपये लगाकर काश्त करने योग्य बनाया है। आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि वाकै ग्राम भामोद के खाता संख्या 236 के हाल खसरा नंबर 1025/0.18, 1026/0.07, 1027/0.06, 1175/488/0.46, 502/0.50, 503/0.45, 504/0.65, 505/0.04, 506/0.70, 507/0.46, 508/0.45, 509/0.65 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 4.67 हैक्टेयर भूमि में खसरा नंबर 502 रकबा 0.50 हैक्टेयर में मौके पर बनी हुई डामरीकरण सड़क का रकबा कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करते हुए शेष भूमि का हिस्से अनुसार कानूनी बंटवारा किया जाकर वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी के नाम से पृथक से पर्चा बनाया जावे एवं अलग से लगान का निर्धारण किया जावे, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी को बंटवारे में प्राप्त भूमि में किसी भी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।



2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए, जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 7, 9, 10, 11 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल आई गयी। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम भांमोद खाता संख्या 236 संवत् 2073-2076, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम भांमोद आदि पेश किये।

4. प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम में कथन रहे कि वादी को हाल खसरा नंबर 1025, 1026, 1027 सम्पूर्ण एवं हाल खसरा नंबर 503 व 504 में उत्तर से दक्षिण-पूर्वी दिशा का हिस्सा प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 को अपने हिस्से अनुसार हाल खसरा संख्या 503 व 504 का हिस्सा एवं खसरा संख्या 506, 507 का पूर्वी दिशा वाला हिस्सा प्राप्त हुआ है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज रहकर बिना किसी बाधा के काश्त करता चले आ रहे है एवं इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 2 को अपने बंटवारे में हाल खसरा नंबर 508, 509 की भूमि प्राप्त जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज रहकर बिना किसी बाधा के काश्त करता चला आ रहा है। यह है कि हाल खसरा नंबर 502 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि में डामरीकरण सडक बनी हुई है, जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज है, जिसका उपयोग वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा अपने-अपने हिस्सा भूमि में पहुंच के रास्ते के रूप में किया जाता है, लेकिन उक्त रास्ता अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में नहीं है, जिसका वक्त बंटवारा रास्ते के रूप में अमल दरामद किया जाना आवश्यक है। यह है कि खातेदारी भूमि के दर्ज रिकॉर्ड में राधेश्याम पुत्र गोरधन की मृत्यु हो चुकी है और उसके विधिक वारिसान के नाम से नामान्तकरण अभी नहीं खुला है लेकिन वादी के द्वारा उसके विधिक वारिसान को प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के रूप में पक्षकार मुकदमा गलत नाम से अंकित कर बनाया गया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 का नाम मुकेश गुप्ता के स्थान पर मुकेश अग्रवाल तथा मीनाक्षी गुप्ता के स्थान पर मीनू अग्रवाल काबिले संशोधन है। अतः जवाब वाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जिस प्रकार से वादी को हाल खसरा नंबर 1025, 1026, 1027 सम्पूर्ण एवं हाल खसरा नंबर 503 व 504 में उत्तर से दक्षिण-पूर्वी दिशा का हिस्सा बंटवारे में प्राप्त करना चाहता है, उसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 को अपने हिस्से अनुसार हाल खसरा संख्या 503 व 504 का हिस्सा एवं खसरा संख्या 506 व 507 का पूर्वी दिशा वाला हिस्सा प्राप्त बाहमी बंटवारे अनुसार अपने कानूनी बंटवारे में तथा प्रतिवादी संख्या 2 को अपने बंटवारे में हाल खसरा संख्या 508 व 509 की भूमि बंटवारे में दिये जाकर वाके ग्राम भांमोद पटवार हल्का तहसील विराटनगर में स्थित खातेदारी भूमि का विधिक बंटवारा हिस्सेनुसार किया जाकर वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एवं बाउण्ड सरस नरस के आधार पर एवं राजस्व बोर्ड के नियमों के अनुसार किया जाकर वादी का पर्चा पासबुक अलग से बनाया जाकर लगान अलग-अलग निर्धारण किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में इसका अमल दरामद करवाया जावे। यह है कि प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का राधेश्याम पुत्र गोरधन के स्थान पर फौतगी



नामान्तरण दर्ज करते समय प्रतिवादी संख्या 4 का नाम मुकेश गुप्ता के स्थान पर मुकेश अग्रवाल तथा मीनाक्षी गुप्ता के स्थान पर मीनू अग्रवाल दर्ज किए जाने के प्रदान करें। साथ ही वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण को बंटवारे में प्राप्त भूमि में किसी भी प्रकार की दखल या मजामहत प्रदान नहीं करें।

तारीख 16.01.2020 को अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने के कारण प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार प्रस्तुत करने की तहरीर जारी की गई।

6. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ।
7. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम भामोद के खाता संख्या 236 के खसरा नंबर 1025/0.18, 1026/0.07, 1027/0.06, 1175/488/0.46, 502/0.50, 503/0.45, 504/0.65, 505/0.04, 506/0.70, 507/0.46, 508/0.45, 509/0.65 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 4.67 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी मुतानाजा का कानूनी बंटवारा नहीं होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा हो रहा। अतः प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण के तरफ से तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज की तथा प्रतिवादीगण की तरफ से पेश काउन्टर क्लेम के अनुसार बंटवारा किया जाने का निवेदन किया। बहस वकुलाय सुनी गई। बाद बहस मनन तहसीलदार विराटनगर को पुनः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया है। पक्षकारान को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर उपस्थित पक्षकारान ने सहमति पेश की, तथा उभय पक्षकारान मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव बंटवारा किये जाने पर सहमत है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।
9. वादी ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिपोर्ट अनुसार तकास्मा कर खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	सत्यमेव जयते नाल पुत्र गोरधन जाति महाजन सा. खातेदार	502/3/0.07, 503/1/0.1720, 504/1/0.27, 1025/0. 18, 1026/0.07, 1027/0. 06 हैक्टेयर
2	अंगूरी देवी पत्नि राधेश्याम हिस्सा 1/4, मुकेश अग्रवाल पुत्र राधेश्याम हिस्सा 1/4, आरती गुप्ता, मीनू अग्रवाल पुत्रियान राधेश्याम हिस्सा 1/2 जाति महाजन सा. देह हाल निवासी 93 न्यू लाहोर कॉलोनी शास्त्रीनगर दिल्ली 110031 खातेदारी	502/2/0.10, 503/0. 2780, 504/0.38, 506/1/0.04, 507/1/0.0240 हैक्टेयर
3	महेश कुमार पुत्र गोरधन जाति महाजन निवासी भामोद हाल निवासी 111 न्यू लाहोर कॉलोनी शास्त्रीनगर दिल्ली 110031 खातेदार	508/0.29, 509/0.4320, 502/0.10 हैक्टेयर
4	ओमप्रकाश पुत्र गोरधन हिस्सा 1/2, कृपा गुप्ता, पूजा अग्रवाल, श्रद्धा अग्रवाल पुत्रियान सुरेश हिस्सा 3/10, सन्तरा देवी पत्नि सुरेश हिस्सा 1/10, सुमित गुप्ता पुत्र सुरेश हिस्सा 1/10 जाति महाजन सा देह हाल निवासी 93 न्यू लाहोर कॉलोनी शास्त्रीनगर दिल्ली 110031 खातेदार	502/1/0.13, 506/0.66, 507/0.4360, 508/1/0. 16, 509/1/0.2180, 505/0.04 हैक्टेयर
5	शामलाती (वादी व प्रतिवादीगणों की भूमि)	1175/488/0.46, 502/4/0.10 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक-दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग-उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 03.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर
बइजलास राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.



1. रतनलाल पुत्र श्री गोरधन जाति महाजन निवासी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान हाल निवासी 101 न्यू लाहोर कॉलोनी शास्त्रीनगर दिल्ली-110031

— वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र गोरधन जाति महाजन निवासी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान। हाल निवासी 93 न्यू लाहोर कॉलोनी शास्त्रीनगर दिल्ली-110031
2. महेश कुमार पुत्र गोरधन जाति महाजन निवासी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान। हाल निवासी 111 न्यू लाहोर कॉलोनी शास्त्रीनगर दिल्ली-110031
3. अंगूरी देवी पत्नि राधेश्याम
4. मुकेश गुप्ता पुत्र राधेश्याम
5. आरती गुप्ता } पुत्रियान राधेश्याम
6. मीनाक्षी गुप्ता }
7. सन्तरा देवी पत्नि सुरेश
8. सुमित गुप्ता पुत्र सुरेश
9. कृपा गुप्ता
10. पूजा अग्रवाल } पुत्रियान सुरेश
11. श्रद्धा अग्रवाल }
12. उपपंजीयक, पंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

समस्त निवासी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर। हाल निवासी 93 न्यू लाहोर कॉलोनी शास्त्रीनगर दिल्ली-110031

समस्त जाति महाजन निवासी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर। हाल निवासी 93 न्यू लाहोर कॉलोनी शास्त्रीनगर दिल्ली-110031

— प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 61/2019 दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रुबरू श्री चिरंजी लाल रैगर, अधिवक्ता वादी व हाजरीमिन जानिब मुद्दई रुबरू श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 एवं अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 8 कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि वाकै ग्राम भामोद के खाता संख्या 236 के हाल खसरा नंबर 1025/0.18, 1026/0.07, 1027/0.06, 1175/488/0.46, 502/0.50, 503/0.45, 504/0.65, 505/0.04, 506/0.70, 507/0.46, 508/0.45, 509/0.65 हैक्टेयर कुल कित्ता 12 कुल रकबा 4.67 हैक्टेयर भूमि में खसरा नंबर 502 रकबा 0.50 हैक्टेयर मे मौके पर बनी हुई डामरीकरण सडक का रकबा कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस मे रास्ता दर्ज करते हुए शेष भूमि का हिस्से अनुसार कानूनी बंटवारा किया जाकर वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी के नाम से पृथक से

पर्चा बनाया जावे एवं अलग से लगान का निर्धारण किया जावे, जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी को बंटवारे में प्राप्त भूमि में किसी भी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

सुना गया कि वादी का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने पर तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर उभय पक्षकारान सहमत है। अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	रतन लाल पुत्र गोरधन जाति महाजन सा. देह खातेदार	502/3/0.07, 503/1/0.1720, 504/1/0.27, 1025/0. 18, 1026/0.07, 1027/0. 06 हैक्टेयर
2	अंगूरी देवी पत्नि राधेश्याम हिस्सा 1/4, मुकेश अग्रवाल पुत्र राधेश्याम हिस्सा 1/4, आरती गुप्ता, मीनू अग्रवाल पुत्रियान राधेश्याम हिस्सा 1/2 जाति महाजन सा. देह हाल निवासी 93 न्यू लाहोर कॉलोनी शास्त्रीनगर दिल्ली 110031 खातेदारी	502/2/0.10, 503/0. 2780, 504/0.38, 506/1/0.04, 507/1/0.0240 हैक्टेयर
3	महेश कुमार पुत्र गोरधन जाति महाजन निवासी भामोद हाल निवासी 111 न्यू लाहोर कॉलोनी शास्त्रीनगर दिल्ली 110031 खातेदार	508/0.29, 509/0.4320, 502/0.10 हैक्टेयर
4	ओमप्रकाश पुत्र गोरधन हिस्सा 1/2, कृपा गुप्ता, पूजा अग्रवाल, श्रद्धा अग्रवाल पुत्रियान सुरेश हिस्सा 3/10, सन्तरा देवी पत्नि सुरेश हिस्सा 1/10, सुमित गुप्ता पुत्र सुरेश हिस्सा 1/10 जाति महाजन सा देह हाल निवासी 93 न्यू लाहोर कॉलोनी शास्त्रीनगर दिल्ली 110031 खातेदार	502/1/0.13, 506/0.66, 507/0.4360, 508/1/0. 16, 509/1/0.2180, 505/0.04 हैक्टेयर
5	शामलाती (वादी व प्रतिवादीगणों की भूमि)	1175/488/0.46, 502/4/0.10 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे

बंटवारे में प्राप्त एक-दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग-उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 03.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिकशून्य..... बाबतशून्य.....खर्चा
इस मुकदमे के मय सूद बशरतशून्य..... की सदी सलाना
आज की तारीख बसूलयाबी तकशून्य..... का अदा करें। सब मेरे
दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.09.2020 को जारी की
गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर